प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशेर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशेर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, जो ताजपुर, थाना-मोहम्मदाबाद, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 27.12.1985 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरिजनों की पैरवी करने के कारण बन्दूक, तमंचा व लाठी से 03 लोगों की हत्या कर दी व 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-50/86 धारा 148, 302/149, 307/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने विवाद अभी समाप्त न होने व बन्दी के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के दृष्टिगत विचारणोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.12.1985 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरिजनों की पैरवी करने के कारण बन्दूक, तमंचा व लाठी से 03 लोगों की हत्या करने व 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशेर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शमशेर सिंह (बन्दी संख्या-25750) पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-94/2020/3011(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-94/2020/3011/22-2-2019-17(418)/2017

दिनांक 11 फरवरी, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमशेर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, जो ताजपुर, थाना-मोहम्मदाबाद, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 27.12.1985 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरिजनों की पैरवी करने के कारण बन्दूक, तमंचा व लाठी से 03 लोगों की हत्या कर दी व 01 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-50/86 धारा 148, 302/149, 307/149 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने विवाद अभी समाप्त न होने व बन्दी के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के दृष्टिगत विचारणोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक ने बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.12.1985 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरिजनों की पैरवी करने के कारण बन्दूक, तमंचा व लाठी से 03 लोगों की हत्या करने व 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशेर सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in